रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936
No. 173] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 241(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 123 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र, 1956 अथवा इन नियमों में शामिल विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विहित किसी अन्य नियम का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से छूट प्रदान की गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विशेष वर्णन) नियम, 2014 में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं ।

3. **निक्षेप से लाभांश की घोषणा** – किसी वर्ष में लाभ की अपर्याप्तता अथवा लाभ न प्राप्त होने की स्थिति में कंपनी निम्नलिखित शर्तों की प्रतिपूर्ति के अधीन अधिशेष से लाभांश की घोषणा कर सकती है, अर्थात्:—

(1) लाभांश की दर उस वर्ष के ठीक पहले के तीन वर्षों में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश की दरों के औसत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह उप-नियम उस कंपनी पर लागू नहीं होगा जिसने पिछले तीन वित्त वर्षों में से किसी वित्त वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है।

(2) ऐसे जमा लाभों से आहरित की जाने वाली कुल राशि अद्यतन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में दर्शायी गई कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी और मुक्त निक्षेप के योग के दसवें भाग से अधिक नहीं होगी ।

(3) इस प्रकार, आहरित राशि का प्रयोग प्रत्येक शेयर के संबंध में किसी लाभांश की घोषणा से पहले उस वित्त वर्ष में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा जिसके लिए लाभांश की घोषणा की गई है ।

(4) इस प्रकार आहरण के पश्चात् निक्षेप का शेष अद्यतन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में दर्शायी गई कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी के पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(5) कोई भी कंपनी तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि पिछले वर्ष में प्रावधान नहीं की गई पिछली हानियों और अवमूल्यन का वर्तमान वर्ष के लिए कंपनी के लाभ से निपटान नहीं कर दिया जाता और पिछले वर्ष में हानि अथवा अवमूल्यन, जो भी कम हो, का निपटान उस वर्ष के कंपनी के लाभ से नहीं कर दिया जाता है जिसके लाभांश की घोषणा अथवा अदायगी की गई है ।

[फा. सं. 1/31/2013-सीएल.V]

रेणुका कुमार,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R.241(E).— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 123 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 and other Rules prescribed under the Companies Act, 1956 on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Companies Act, 2013;

(b) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said Rules.

3. Declaration of dividend out of reserves.- In the event of inadequacy or absence of profits in any year, a company may declare dividend out of free reserves subject to the fulfillment of the following conditions, namely:—

(1) The rate of dividend declared shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by it in the three years immediately preceding that year:

Provided that this sub-rule shall not apply to a company, which has not declared any dividend in each of the three preceding financial year.

(2) The total amount to be drawn from such accumulated profits shall not exceed one-tenth of the sum of its paid-up share capital and free reserves as appearing in the latest audited financial statement.

(3) The amount so drawn shall first be utilised to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of equity shares is declared.

(4) The balance of reserves after such withdrawal shall not fall below fifteen per cent of its paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement.

(5) No company shall declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous year are set off against profit of the company of the current year the loss or depreciation, whichever is less, in previous years is set off against the profit of the company for the year for which dividend is declared or paid.

[F. No. 1/31/2013-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.